

मध्यप्रदेश शासन
विधिक मापविज्ञान विभाग
विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

-: निरीक्षण टीप :-

दिनांक समय
स्थान

संस्थान / व्यक्ति का नाम.....
पता—दु0क0—ग्राम..... मोहल्ला..... थाना..... जिला..... पिनकोड.....
व्यवसाय.....
दुरभाष / मोबाइल क0.....

मेरे द्वारा..... विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के प्रावधान अनुसार उक्त संस्थान का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण किये गये बाट माप तौलयंत्र/दस्तावेज/अनुज्ञाप्ति/पैकेज का विवरण :-

उक्त संस्थान के निरीक्षण मे पाई गई त्रुटि पर जप्ती पत्रक क..... / सूचना पत्र दिनांक जारी किया गया है ।

उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता
विधिक मापविज्ञान
अधिकारी